



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23078

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 3944 वर्ष 2026

जितेन्द्र नाथ सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

अपर उप जिलाधिकारी और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : शशांक कुमार, विनोद कुमार यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा केवल यह पार्थन की गई है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/ अपर उप जिलाधिकारी, वाराणसी सदर, जिला वाराणसी के समक्ष अंतिम डिक्री तैयार करने हेतु याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन दिनांक 20.12.2024 को निर्णीत किया जाए, जो एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है। यह तर्क दिया गया है कि काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
2. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 मामले में शीघ्रता से निर्णय लेंगे।
3. मामले के इस दृष्टिकोण में और मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, वर्तमान याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 1/ अपर उप जिलाधिकारी, वाराणसी सदर, जिला वाराणसी को उपरोक्त आवेदन को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

3 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"